उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या-4/2019/406/33-3-2019-100(16)/2018

लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2019

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-2/2019/01/33-3-2019-100(16)/2018 दिनांक 25.01.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश की जिला पंचायतों में कांजी हाउसों के पुनर्निमाण/स्थापना एवं संचालन हेतु रू. 1000.00 लाख (रू. दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 हेतु राजस्व मद के अन्तर्गत रू. 200.00 लाख (रू. दो करोड़ मात्र) निर्गत किया गया था, जिसका लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-22-जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निमाण/स्थापना एवं संचालन-42-अन्य व्यय के स्थान पर त्रुटिवश लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- 101-पंचायतीराज-800-अन्य व्यय-13-जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुननिर्माण/ स्थापना एवं संचालन के मानक मद-42-अन्य व्यय अंकित हो गया है।

अत: उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए **लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-800-अन्य व्यय-13-जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुननिर्माण/स्थापना एवं संचालन के मानक मद-42-अन्य व्यय के स्थान पर लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-22-जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निमाण/स्थापना एवं संचालन-42-अन्य व्यय पढ़ा जाय।**

तदनुसार उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.01.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या-यू.ओ.-ई-2-116/X-19 दिनांक 11.02.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

सोबरन सिंह,

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- समस्त संबंधित जिलाधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- समस्त संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।